

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), टोंक

क्रमांक: AR/TONK/2023/055837

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/TON/0006542

दिनांक: 11/06/2023

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंखा सहित प्राप्त निम्न आधी त्फान के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आंधी त्फानसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार अधिक सहायता करुप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
---------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------



आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

1	AR/TONK/ 2023/0558 37	नाम: Parhlad Maliपिता का नाम: Sharwan Maliजिला: टोंक	0, गावड़ी, देवली, पंचायत समिति -देवली, ग्राम पंचायत -गावड़ी, गांव - गावड़ी	25/05/2023	आधी त्फान	जिले में दिनांक 25-26 मई, 2023 को आंधी-अंधड त्फान से हुई आंशिक क्षति के प्रकरण श्री प्रहलाद माली पुत्र श्री श्रवण माली निवासी ग्राम गावड़ी तहसील देवली, जिला टोंक में तहसीलदार देवली, विरदावर एवं पटवारी की संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं सलगन तकमीना रिपोर्ट अनुसार मकान से जुड़ा मवेशी शेड की 15% से अधिक क्षति होने तथा तहसीलदार देवली द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ नोक्स परिपत्र क्रमांक 33-03/2020-एनडीएम-1 दिनांक 10.10.2022 के बिन्दु संख्या 10 (ड.) के अन्तर्गत आपदा से प्रभावित आवेदक श्री प्रहलाद माली पुत्र श्री श्रवण माली को आर्थिक सहायता राशि रु. 3000 की स्वीकृति प्रदान करने बाबत	3000
योग							
						3000	

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-113-(09)-[07]-12

जिला कलेक्टर  
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
टोंक

# आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

## राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि -निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, टोंक
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, टोंक
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा



प्रभारी अधिकारी  
(आ.प्र. एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
टोंक